उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्
की
अन्य उपयोगी सूचनाऐं –
(Other Important information's)

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा किये गये कार्य एवं उपलब्धियांः

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् उत्तराखण्ड में बांस एवं रेशा गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है।

1. 707 ग्रामों के 36659 लोगों तक बांस एवं रेशा आधारित जन जागरूकता अभियान।
2. 62 स्वयं सहायता समूह/ 7 प्राथमिक सहकारिता समितियों का गठन।
3. 4930 किसानों/हस्तशिल्पियों/बुनकरों को प्रशिक्षित।
4. बांस एवं रेशा पर आधारित 12 क्लस्टरों की स्थापना।
5. लगभग 15000 हे0 बांस/रिंगाल रोपण।
6. 92 बांस आधारित संरचनाऐं– विश्राम गृह, कोटेज, गज़ीबो, दूकान आदि का निर्माण।
7. वन क्षेत्र से रिंगाल, हिमालयन कण्डाली, कांसी, मूंज, पटेरी का काश्तकारों की आजीविका हेतु संग्रहण की अनुमति।
8. 04 प्राकृतिक रेशों– हिमालय कण्डाली, औधोगिक भांग, भीमल, रामबांस का न्यूनतम मूल्य निर्धारण।
9. बांस अभिवहन में छूट।
10. अनुसंधान कार्य–पौधालय, रोपण, रेशा प्रसंस्करण, डिज़ाईन, मार्केट, बांस उपचार
11. विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत पनियाली, कोटद्वार में बांस एवं रेशा हेतु कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना.
12. जनपद उधम सिंह नगर के थारू जनजातीय क्षेत्रों में उनके द्वारा बनाये गये उत्पादों हेतु कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड बहुद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम के वित्त पोषण से पांच भण्डार ग्रहों की स्थापना.
13. जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नेटवर्क प्रोग्राम परियोजना के अंतर्गत भारत के चार प्रतिष्ठित जैवप्रोद्योगिकी संस्थानों जैसे हिमालय जैवसंपदा तकनीक संस्थान, पालमपुर; जी बी पंत हिमालयी पर्यावरणीय विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा; द इनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दिल्ली; एवं वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून विभिन्न बांस प्रजातियों के टिश्यू कल्चर हेतु

प्रोटोकोल विकसित कर पौधे तैयार कर वन विभाग के पांच वन प्रभागों के 30 हैक्टेयर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का प्रदर्शन रोपण.

14. जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लार्ज स्केल बांस रोपण प्रोग्राम परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के पांच वन प्रभागों के 50 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस की उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातियों का रोपण.
15. नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन द्वारा स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत पंतनगर विश्वविद्यालय में 40 हैक्टेयर क्षेत्र, पिथौरागढ़ में 5 हैक्टेयर तथा चकराता में 5 हैक्टेयर क्षेत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त बांस प्रजातियों का रोपण.
16. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई द्वारा स्वीकृत तीन वर्षीय परियोजना के अंतर्गत पीपलकोटी (चमोली), उमरीखाल (पौड़ी) एवं कपकोट (बागेश्वर) में बांस एवं रिंगाल हेतु तीन आजीविका वाटिकाओं (वन स्टॉप स्टेशन) की स्थापना. देहरादून में एक आजीविका वाटिका प्रस्तावित.
17. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई द्वारा स्वीकृत तीन वर्षीय परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान वृत्त, वन विभाग, उत्तराखण्ड के सहयोग से रानीपुर नर्सरी के वर्तमान संसाधनों का उपयोग करते हुए श्यामपुर, जनपद हरिद्वार में एक उच्च तकनीकी पौधशाला का विकास किये जाने की कार्यवाही गतिमान.
18. जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से कोटद्वार एवं हल्द्वानी में बांस हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना.
19. विभिन्न स्रोतों वित्तीय सहायता प्राप्त कर उत्तराखण्ड में बांस, रिंगाल एवं रेशा विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन.
20. बांस एवं रेशा विकास, अनुसंधान, शिल्पकारों को बाजार मांग के अनुरूप बांस एवं रेशा उत्पाद विकास संबंधी लगभग 49 प्रशिक्षणों का आयोजन कर लगभग 1746 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया है तथा उक्त प्रशिक्षणों में लगभग 200 से अधिक नवीन उत्पादों का विकास किया गया है.
21. बांस एवं रेशा आधारित गतिविधियों से ग्रामीण परिवारों की प्रति परिवार आय रू.1000/– से बढ़कर लगभग रू.1800/– हुई है।
22. डा0 सुशीला तिवारी, हर्बल गार्डन, ऋषिकेश में प्राकृतिक रेषा के अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण तथा अन्य मूल्य सम्बर्द्धन प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
23. सेन्टर में परिषद् द्वारा 2220 वर्ग फुट एरिया में एक कार्यषाला का निर्माण, जिसमें रेशा प्रसंस्करण सम्बन्धी मशीन जैसे– रेशा कटिंग, विलोविंग, टीजर, कार्डिंग इत्यादि की स्थापना।

अनुसंधान एवं विकास

बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली; एनसीजेडी, कोलकाता, निरजेफ्ट, सिरजैफ, कोलकाता, सीसीआरआई, केरल इत्यादि की सहायता से बांस एवं प्राकृतिक रेशों पर आधारित कई अनुसंधान व विकास तथा पाइलट कार्य संपादित किए गए हैं। इनकी एक झलक नीचे दी गई है।

- रामबांस, भीमल, पहाड़ी ऊन एवं जूट की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं पर आधारित अध्ययन।
- रामबांस एवं भीमल आधारित रेशा निकालने, प्रसंस्करण, तागा बनाने एवं अन्य रेशों के साथ मिश्रण को ले नारियल के रेशों को निकालने में प्रयुक्त तकनीकी का उपयोग कर तुलनात्मक अध्ययन।
- रामबांस एवं भीमल आधारित रेशा निकालने, प्रसंस्करण, तागा बनाने एवं अन्य रेशों के साथ मिश्रण को ले जूट एवं इसके समतुल्य अन्य पौधों के रेशों को निकालने में प्रयुक्त तकनीकी का उपयोग कर तुलनात्मक अध्ययन।
- व्यापारिक भांग एवं डास कंडाली पर उपलब्धता एवं दक्षता के अध्ययन हेतु मुनयारी, पिथौरागढ़, धारचुला एवं अल्मोड़ा का सर्वेक्षण।
- पश्मीना पर आधारित सर्वेक्षण।
- प्राकृतिक रेशा आधारित समेकित डिजाइन एवं तकनीकी विकास की गतिविधियां।
- व्यापारिक भांग पर आधारित उपलब्धता एवं दक्षता के अध्ययन हेतु आदिबद्री, खेती, सुगाड़, सिराना, सरकोट, परवाड़ी, एवं चमोली का सर्वेक्षण।
- मौसमी घासों पर आधारित अध्ययन।
- रामबांस का रेशा निकालने के उपरांत बचे पदार्थ का रसायनिक परीक्षण वन अनुसंधान संस्थान के रसायन विभाग में कराया जा रहा है।
- विभिन्न उपयोगों के लिए बांस की आर्थिक रूप से उपयोगी प्रजातियों के क्षेत्रीय स्तर पर प्रायोगिक पेकेज एवं प्रेक्टिस दर्शाने हेतु प्रदर्षन रोपण स्थलों की स्थापना पर आधारित अध्ययन नेशनल मिशन ऑन बैंबू एप्लीकेशन्स द्वारा प्रायोजित किया गया है।
- उत्तराखण्ड में बांस के प्रदर्षन रोपण स्थलों की स्थापना हेतु नेटवर्क कार्यक्रम भारत सरकार के जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित है जिसमें बांस की चार प्रजातियों का रोपण आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 25 हे0 वन भूमि पर किया जाएगा। टिश्यू कल्चर, नोडल कटिंग एवं

बीज द्वारा उत्पन्न पौधों को किसी स्थान विशेष में होने वाली बढ़ोतरी के लिए अध्ययन किया जाएगा।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

सूचना के लिए अनुरोध निम्न प्रकार करें :–

- ❖ सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति परिषद् की बेबसाईट से कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते है अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं।
- ❖ सूचना का आवेदन पत्र उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाएगा।
- ❖ यदि कोई अनुरोधकर्ता आवेदन पत्र लिखने में असमर्थ हो तो लोक सूचना अधिकारी सहायता प्रदान करके उसके मौखिक अनुरोध को लिखित रूप में दर्ज करेंगे।
- ❖ आवेदन पत्र में कुछ आवश्यक जानकारी देना जरूरी है जिससे उस पर कार्यवाही करने में सहुलियत / आसानी हो।

आवेदन – पत्र में उल्लेख की जाने वाली बातें निम्नवत् हैं :–

- अनुरोधकर्ता का नाम
- पिता / पति का नाम
- पत्राचार /सम्पर्क का पूरा पता
- इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण
- आवेदन का शुल्क जमा करने का प्रमाण
- गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण (यदि कोई हो)
- आवेदन पत्र जमा करने की तिथि
- आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क :–

सूचना निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। तथापि गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक द्वारा कोई शुल्क देय नही होगा।

आवेदन शुल्क : –

सूचना के लिए अनुरोध करते समय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क रू0 10 देय होगा। आवेदन शुल्क दिये बगैर सूचना का अनुरोध स्वीकार नही होगा।

आवेदन शुल्क रू0 10 प्रति आवेदन पत्र के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार है :–

- **सूचना की :–**

  1) तैयार की गयी सामग्री अथवा

  2) अभिलेख की छाया प्रति देने पर A4 या A3 साईज के एक पृष्ठ का रू0 2 प्रति पेज

- बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत।
- अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्क नही एवं उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु शुल्क रू0 5.00
- सी.डी./ फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये रू0 50 प्रति सी.डी/फ्लापी।
- मुद्रित प्रारूप में दी गयी सुचना के लिऐ , ऐसे प्रकाशन के लिए नियम कीमत या ऐसे प्रकाशन से उद्वरणों की फोटो प्रति के लिए प्रति पृष्ठ रू0 2.00 ।
- सैम्पल / मॉडल की दशा में उसकी वास्तविक लागत।

-x-x-x-x-